आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Department of Ex-Servicemen Welfare

One Rank One Pension (OROP)

वन रैंक वन पेंशन में रक्षा बलों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक ही रैंक और सेवा अवधि पर, सेवानिवृत्ति की तिथि चाहे जो हो, समान पेंशन मिलती है।

क्या मिल सकता है

पेंशन आपके रैंक और अर्हक सेवा के लिए ओआरओपी पेंशन तालिकाओं से तय होती है, इसलिए एक ही रैंक और सेवा वाले पुराने और नए सेवानिवृत्त लोगों को समान दर मिलती है। तालिकाएँ समय-समय पर संशोधित होती हैं; ताज़ा आदेश में पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जुलाई 2024 से संशोधित की गई है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों की अतिरिक्त पेंशन भी ओआरओपी में बढ़ाई गई थी।

किसके लिए है

रक्षा बलों के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनकी पेंशन पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के ओआरओपी आदेशों के तहत संशोधित होती है।

मुख्य शर्तें

- आप रक्षा बलों के सेवानिवृत्त सदस्य के रूप में या उनके परिवार के सदस्य के रूप में पेंशन या पारिवारिक पेंशन पाते हों।
- दर आपके रैंक (और जेसीओ व अन्य रैंकों के मामले में समूह) तथा अर्हक सेवा पर निर्भर करती है, जैसा पेंशन तालिकाओं में दिया है।
- पहला ओआरओपी आदेश 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल कर्मियों पर लागू था।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://desw.gov.in/en/node/91603
आधिकारिक PDF: https://desw.gov.in/sites/default/files/OROP-English.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/orop-one-rank-one-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।